रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/माघ 28, 1938
No. 451] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

का.आ. 503(अ).-- सेवाओं, प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों एक सुविधाजनक तथा बाधा रहित रीति से उनकी हकदारियों को प्राप्त करने में समर्थ बनाता हैं और आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए विविध प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रसुविधा का व्यय भारत की संचित निधि से उपगत किया जाता है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उच्चतर शिक्षा विभाग आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकीयों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

1. (1) कोई व्यक्ति जो "महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केन्द्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति स्कीम" के अधीन छात्रवृत्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो, आधार होने का प्रमाण देगा या आधार अधिप्रमाणन कराएगा।

(2) कोई व्यक्ति जो "महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केन्द्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति स्कीम योजना" के अधीन छात्रवृत्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो, और जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया हो, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम

की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार के नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र पर (केन्द्र की सूची) (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016, के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, प्रस्थापित करने की अपेक्षा होगी और आस-पास के क्षेत्र में अवस्थित नामांकन सुविधाएं आधार नामांकन केन्द्रों के अभाव में राज्य सरकार का उच्चतर शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वयन करके सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी नामांकन सुविधाएं प्रदान करा सकेगा या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा।

परंतु उस व्यक्ति का आधार निपटा किए जाने के समय तक वह निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए छात्रवृत्ति प्रसुविधा का हकदार होगा/होगी, अर्थात्-

(क) (i) यदि उसने अपना आधार नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप प्रस्तुत या;

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार आधार नामांकन के लिए दिए गए उसके आवेदन की एक प्रति; और

(ख) (i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्याक कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालान लाइसेंस या; (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र हैड पर फोटो वाला पहचान का प्रमाणपत्र; या (vi) महाविद्यालय या संस्थान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र; या (vii) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो सहित कोई अन्य दस्तावेजः

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. (1) फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और बाधारहित छात्रवृत्ति प्रसुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का उच्चतर शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अन्य साधनों के माध्यम से निम्नलिखित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात्:-

(2) छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के प्रति आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना देकर इसका व्यापक प्रचार और उन्हें 30 जून, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्र पर स्वयं को नामांकित कराए, उन्हें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यदि उस तालुका में जहां फायदाग्राही निवास करते हैं या अध्ययन करते हैं, नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण वे नामांकन कराने में समर्थ नहीं हैं, तो राज्य सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग से उच्चतर शिक्षा संस्थानों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा होगी। आवेदकों या फायदाग्राहियों से नामाकंन अपने नाम के साथ पहचान का प्रमाण और अन्य ब्यौरे जो पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए, अपने पते और मोबाइल संख्या के साथ

अपने वेब पोर्टल पर नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराने हेतु अनुरोध किया जाए और ऐसा अनुरोध संबंधित महाविद्यालय, संस्थान या विश्वविद्यालय के पास भी रजिस्ट्रीकृत कराया जाए।

3. यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं.1-44/2016-एनएस-1(एनएसपी)]

एस. एस. संधु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017.

S.O. 503(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the scholarship benefit for students is expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section (7) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of receiving scholarship benefit under the "Central Sector Scholarship Scheme for College and University students"shall furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of receiving scholarship benefit under the "Central Sector Scholarship Scheme for College and University students" and is not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, in case he/she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment center list available at (www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations 2016, the Higher Education Department of the State Government through Higher Education Institutions is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in absence of such Aadhaar enrolment centers located in the vicinity, the Higher Education Department of the State Government through Higher Education Institutions may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual,he or she shall be entitled for scholarship benefit subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her application made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) the voter identity card issued by the Election Commission of India; or (ii) the Permanent Account Number Card issued by the Income Tax Department; or (iii) the Passport; or (iv) the driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988; or (v) the certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (vi) the Identity Card issued by the college or institute or university; or (vii) any other document with photo specified by the State Government:

Provided further that the above said documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government for the said purpose.

2. (1) In order to provide convenient and seamless Scholarship benefit to beneficiaries, Higher Education Department of the State Government through Higher Education Institutions and other means shall make all the necessary arrangements including following, namely:—

(2) Wide publicity through media and individual notices through Higher Education Institutions shall be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the scholarship and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment center available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centers shall be made available to them.

(3) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the taluka where they reside or study, the Higher Education Department of the State Government through Higher Education Institutions are required to create enrolment facilities at convenient locations. The applicants or beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details such as proof of identity specified in clause (b) of the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with address and mobile number on their web portal and such request may also be registered with the concerned college, institute or university.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States except the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 1-44/2016-NS-1(NSP)]

S. S. SANDHU, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.17 19:54:26 +05'30'